



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239172
CG-DL-E-27092022-239172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4368]
No. 4368]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2022/आश्विन 5, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022/ ASVINA 5, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

का.आ. 4557(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 29 के उप-खंड (3) में,-
 - शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "एक" रखा जाएगा;
 - अंक "2020" के स्थान पर अंक "2022" रखा जाएगा।

[फा. सं. 1-6/2020 उर्वरक-विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना 4477 (अ) तारीख 22 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 27th September, 2022

S.O. 4557(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fourth Amendment) Order, 2022
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 in sub-clause (3) of clause 29,-
 - (i) for the word “two” the word “one” shall be substituted;
 - (ii) for the figures "2020" the figures "2022" shall be substituted.

[F. No. 1-6/2020 Fert Law]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, extraordinary, Part II Section 3, sub-section(i) vide notification number G.S.R. 758 (E), dated 25th September, 1985 and was last amended vide notification number 4477(E) dated 22nd September, 2022.